भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1155
दिनांक 09 फरवरी, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

चिकित्सा उपकरण विनिर्माता

1155. श्री हरीश द्विवेदीः
श्री सुमेधानन्द सरस्वतीः
श्रीमती रंजीता कोलीः
डॉ. मनोज राजोरियाः
श्री दिलेश्वर कामैतः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश ने विश्व के शीर्ष पांच स्वास्थ्य परिचर्या विनिर्माताओं में स्थान प्राप्त कर लिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या देश में चिकित्सा उपकरण/मशीनरी क्षेत्र को एक उदीयमान क्षेत्र के रुप में मान्यता दी गई है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार ने भारत को वैश्विक रुप से स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों के विनिर्माण केन्द्र के रुप में स्थापित करने के लिए कोई पहल की है/करने का विचार है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा)

(क) एवं (ख): भारतीय औषध उद्योग मात्रा के हिसाब से दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा और मूल्य के हिसाब से 14वां सबसे बड़ा उद्योग है। इसके अतिरिक्त, जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के पश्चात भारत चौथा सबसे बड़ा एशियाई चिकित्सा उपकरण बाजार है।

भारत का औषध और चिकित्सा उपकरणों का निर्यात इस प्रकार है:-

क्र.सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2020-21 (मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में)	वित्त वर्ष 2021-22 (मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में)	वित्त वर्ष 2022-23 (मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में)
1	बल्क औषधियां और औषधि मध्यवर्ती	4430	4469	4709
2	औषधि विनिर्माण और जैविक	19042	19001	19459
3	उपभोग्य वस्तुएं एवं डिस्पोज़ेबल्स	1290	1378	1605
4	शल्य-उपकरण	54	71	72
5	इलेक्ट्रॉनिक उपकरण	985	1163	1335
6	प्रत्यारोपण	99	135	188
7	आईवीडी अभिकर्मक	104	176	191

स्रोत: डीजीसीआईएस, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(ग) से (च): जी, हां। चिकित्सा उपकरण/मशीनरी क्षेत्र को देश में उभरते क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है, 2020 में चिकित्सा उपकरण का बाजार आकार 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और इसके तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। भारत सरकार ने चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए कई उपाय किए हैं। चिकित्सा उपकरण उद्योगों को समर्थन देने के लिए उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

i. 3,420 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय और वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2027-28 तक के कार्यकाल के साथ चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण (पीएलआई एमडी) के संवर्धन के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना। चयनित कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन भारत में विनिर्मित और योजना के लक्षित खंडों के अंतर्गत कवर किए गए चिकित्सा उपकरणों की वृद्धिशील बिक्री पर 5% की दर से पांच (5) वर्ष की अवधि के लिए दिया जाना है। इस योजना के अंतर्गत 26 प्रतिभागियों को मंजूरी दी गई है और 39 उत्पादों का विनिर्माण शुरू हो गया है।

ii. औषध के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना 15,000 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय और वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2028-29 तक की अवधि के साथ शुरू की गई है। उत्पादन श्रेणी 3 के अंतर्गत इस योजना में इन-विट्रो डायग्नोस्टिक (आईवीडी) डिवाइस शामिल है। इस योजना के अंतर्गत कुल 55 प्रतिभागियों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 5 प्रतिभागियों को इन-विट्रो डायग्नोस्टिक (आईवीडी) उपकरणों के लिए चुना गया है।

iii. 400 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय और वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-2025 तक के कार्यकाल के साथ चिकित्सा उपकरण पार्कों का संवर्धन योजना में आगामी चिकित्सा उपकरण पार्कों में साझा बुनियादी सुविधाओं के विनिर्माण के

लिए 4 चयनित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रत्येक को 100 करोड़ रुपये की अधिकतम वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों को प्रत्येक को 100 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के लिए अंतिम अनुमोदन दिया गया है।

iv. साझा सुविधाओं के लिए चिकित्सा उपकरण समूहों (एएमडी-सीएफ) को सहायता योजना साझा बुनियादी सुविधाओं अर्थात चिकित्सा उपकरणों की परीक्षण प्रयोगशालाओं, ई-अपशिष्ट उपचार सुविधा, लॉजिस्टिक केंद्रों को विकसित करने के लिए चिकित्सा उपकरण समूहों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। यह योजना चिकित्सा उपकरणों के लिए परीक्षण सुविधाओं की स्थापना या सुदृढ़ीकरण में रुचि रखने वाले राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय सरकार या निजी संस्थानों को भी वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

******